मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2024 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 2 जुलाई, 2024 (आषाढ़ 11, 1946)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) **श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा,** कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखेंगे.

(2) **श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री,** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 12 की उपधारा (3) (च) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2022-2023 पटल पर रखेंगे.

(3) **श्री उदय प्रताप सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री,** भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की गाईड लाईन के बिन्दु क्रमांक-2 के उप बिन्दु (7) की अपेक्षानुसार समग्र शिक्षा अभियान मध्यप्रदेश की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2022-2023 पटल पर रखेंगे.

(4) **श्री नागर सिंह चौहान, पर्यावरण मंत्री,** जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 की उपधारा (2) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 पटल पर रखेंगे.

(5) **श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री,** विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक 692/मप्रविनिआ/2024, दिनांक 14 मार्च, 2024,
(ख) क्रमांक 691/एमपीईआरसी/2024, दिनांक 14 मार्च, 2024,
(ग) क्रमांक मप्रविनिआ/2023/180, दिनांक 17 जनवरी, 2024,
(घ) क्रमांक एमपीईआरसी/2024/480, दिनांक 20 फरवरी, 2024,
(ङ) क्रमांक 233/मप्रविनिआ/2024, दिनांक 22 जनवरी, 2024,
(च) क्रमांक 1236/मप्रविनिआ/2024, दिनांक 24 मई, 2024,
(छ) क्रमांक 1239/मप्रविनिआ/2024, दिनांक 24 मई, 2024,
(ज) क्रमांक 1238/एमपीईआरसी/2024, दिनांक 24 मई, 2024,
(झ) क्रमांक मप्रविनिआ/2024/220, दिनांक 19 जनवरी, 2024, एवं
(ञ) क्रमांक 616/एमपीईआरसी/2024, दिनांक 05 मार्च, 2024

पटल पर रखेंगे.

(6) **श्री चेतन्य काश्यप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री,** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 58 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020 पटल पर रखेंगे.

(7) **श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री वन** *(मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत)*, खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 18 (3) की अपेक्षानुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान, जिला झाबुआ, उमरिया एवं रीवा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) **श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य,** इंदौर-बुधनी रेल लाईन हेतु अधिग्रहित भूमि का कम मुआवजा दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) **सर्वश्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, जयवर्द्धन सिंह, लखन घनघोरिया, सदस्य,** मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिल द्वारा नर्सिंग कालेजों को नियम विरुद्ध मान्यता दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा.

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 2-विजयपुर से निर्वाचित सदस्य, श्री रामनिवास रावत एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 145-बासौदा से निर्वाचित सदस्य, श्री हरिसिंह रघुवंशी को विधान सभा के जुलाई, 2024 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) **डॉ. अभिलाष पाण्डेय, सदस्य,** जबलपुर जिले के मदर टेरेसा नगर अंतर्गत गली नं. 01 से 09 की मेन रोड तक सी.सी. रोड निर्माण कराये जाने,

(2) **श्रीमती अनुभा मुंजारे, सदस्य,** बालाघाट जिले के लालबर्रा अंतर्गत टूटी बांध से निकलने वाली नहरों का सीमेन्टीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं कोलापों का मरम्मत कार्य कराये जाने,

(3) **श्री साहब सिंह गुर्जर, सदस्य,** ग्वालियर जिले के ग्राम रतवाई में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्माणाधीन रोड पर अंधे मोड़ को सीधा कराये जाने,

(4) **श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य,** दतिया जिले के ग्राम गोविन्दगढ़ इकारा के बीच विद्युत सब-स्टेशन स्थापित कराये जाने,

(5) **श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य,** भिण्ड जिले के कस्बा फूप में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज को पूर्व में चयनित भूमि पर ही कॉलेज भवन का निर्माण कराये जाने,

(6) **श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य,** टीकमगढ़ जिले के ग्राम विकास की राशि को ग्राम अनंतपुरा में व्यय करने,

(7) **श्री मथुरालाल डामर, सदस्य,** रतलाम जिले के ग्राम सरवड़ की हाई स्कूल एवं मांगरोल हायर सेकेण्ड्री स्कूल के भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने,

(8) **डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य,** ग्वालियर संभाग अंतर्गत भारत स्काउड गाईड ट्रेनिंग सेन्टर के निर्माण हेतु राशि स्वीकृत कराये जाने,

(9) **डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य,** नर्मदापुरम जिला अंतर्गत इटारसी स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय का 200 से 300 बिस्तरीय चिकित्सालय में उन्नयन किये जाने,

(10) **श्री केदार चिड़ाभाई डावर, सदस्य,** खरगोन जिले के ग्राम सेगांव में नवीन शासकीय महाविद्यालय खोले जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(11) **श्री राजेश कुमार वर्मा, सदस्य,** विदिशा जिले के ग्यारसपुर अंतर्गत ग्राम औलिंजा से धुरेरा तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(12) **श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य,** दतिया जिले के सेवढ़ा अंतर्गत ग्राम थरेट से जरौली तक मार्ग निर्माण कराये जाने,

(13) **श्री रामनिवास शाह, सदस्य,** सिंगरौली जिले के कृषि विभाग अंतर्गत कृषि विश्वविद्यालय में रिक्त पदों की पूर्ति कराये जाने,

(14) **श्री अरुण भीमावद, सदस्य,** शाजापुर जिले के ग्राम धाराखेड़ी से भाल्यूखेड़ा एवं अन्य ग्रामों की सड़कों का निर्माण कराये जाने,

(15) **श्री अमरसिंह यादव, सदस्य,** राजगढ़ जिले की ग्राम पंचायत गोरखपुरा, सुल्तानपुरा सहित अन्य भवन विहीन पंचायतों में पंचायत भवन स्वीकृत किये जाने,

(16) **श्री केशव देसाई, सदस्य,** भोपाल जिले के कटारा हिल्स क्षेत्र में बने सीनियर एम.आई.जी. क्रमांक 322 से 329 तक के सीवेज टैंक का पुनर्निर्माण एवं गार्डन का सौन्दर्यीकरण कराये जाने,

(17) **श्री वीरसिंह भूरिया, सदस्य,** झाबुआ जिले के ग्राम डुंगरीपाड़ा में हाई पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

6. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 9 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 10 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(3) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 11 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(4) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन)
30 मि. विधेयक, 2024 (क्रमांक 9 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(5) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण
30 मि. (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 10 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(6) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक,
30 मि. 2024 (क्रमांक 11 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 1 जुलाई, 2024